मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा की अध्यक्षता में दिनांक 03 जनवरी, 2020 को उत्तराखण्ड कैम्पा की संचालन समिति की तृतीय बैठक के कार्यवृत्त

बैठक में निम्न सदस्यगण/प्रतिनिधि उपस्थित रहे:–

1. श्री आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
2. श्री जय राज, प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
3. श्रीमती रंजना काला, नोडल अधिकारी, राज्य वन विकास अभिकरण (प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत) एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
4. श्री राजीव भरतरी, मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
5. सुश्री सौजन्या, सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन
6. श्री प्रेम प्रकाश, अनुसचिव, राजस्व, प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
7. श्री एस0सी0 सिंह, प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, कृषि, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
8. श्री योगेन्द्र यादव, अपर सचिव, प्रतिनिधि–प्रमुख सचिव, जनजाति विकास एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
9. श्री एच0सी0 सेमवाल, अपर सचिव/निदेशक, पंचायती राज, प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
10. श्री डी0 जे0 के0 शर्मा, अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी–वन संरक्षण, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
11. श्री पंकज अग्रवाल, अपर प्रमुख वन संरक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
12. श्री एस0टी0एस0 लेप्चा, जनजाति मामलों के विशेषज्ञ/जनजाति समुदाय के प्रतिनिधि एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
13. डा0 समीर सिन्हा, अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव, संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।

विशेष आमंत्रीः

14. श्री नरेश कुमार, मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, उत्तराखण्ड।

सर्वप्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव, संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से उपस्थित सदस्यगणों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उत्तराखण्ड कैम्पा की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला गया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा **प्रतिकरात्मक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016** व **प्रतिकरात्मक वनीकरण निधि नियम, 2018** के अंतर्गत कैम्पा की नयी व्यवस्था के दिनांक **30 सितम्बर, 2019** को लागू होने से पूर्व समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली गई हैं जिसमें **उत्तराखण्ड प्रतिपूरक वनीकरण निधि** की स्थापना, **उत्तराखण्ड प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण** का गठन, **लेखा शीर्षकों का सृजन** इत्यादि सम्मिलित हैं।

समिति को अवगत कराया गया कि नवगठित उत्तराखण्ड कैम्पा के अंतर्गत स्थापित उत्तराखण्ड प्रतिपूरक वनीकरण निधि में दिनांक 29.08.2019 को भारत सरकार के स्तर से उत्तराखण्ड को **रू0 2675.09 करोड़** की निधि हस्तांतरित कर दी गई है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि **मा0 उच्चतम न्यायालय** के दिनांक 04.11.2019 व दिनांक 09.12.2019 को कैम्पा निधि के व्यय एवं इसके अंतर्गत संपादित कार्यों के अनुश्रवण के संबंध में राज्य में की गई व्यवस्था का विवरण उपलब्ध कराए जाने हेतु दिये गये निर्देशों के कम में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 23.12.2019 को उक्त से संबंधित **शपथपत्र** दाखिल कर दिया गया है। संचालन समिति उक्त जानकारी से अवगत हुई।

<u>कार्यसूची संचालन समिति संख्या–3.1</u>

<u>दिनांक 17.10.2019 को सम्पन्न हुई संचालन समिति की द्वितीय बैठक की कार्यवाही की पुष्टि एवं अनुपालन</u> ।

सदस्यगण उत्तराखण्ड कैम्पा की दिनांक 17.10.2019 को आयोजित संचालन समिति की द्वितीय बैठक का कार्यवृत्त पर की गई कार्यवाही से अवगत हुए।

कार्यसूची संचालन समिति संख्या–3.2

वित्तीय वर्ष 2019–20 की स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना एवं उसके सापेक्ष वित्तीय प्रगति की स्थिति।

सदस्यगणों को चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 की प्रगति से अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2019–20 की कुल ₹ 20310.21 लाख की स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष क्रियान्वयन अभिकरणों को दिनांक 31.12.2019 तक अवमुक्त की गई ₹ 14271.66 लाख की धनराशि व उसके सापेक्ष दिनांक 31.12.2019 की तिथि तक ₹ 4410.18 लाख के व्यय की मानक मदवार/घटकवार प्रगति (31 प्रतिशत की प्रगति) से निम्नानुसार अवगत कराया गया :–

धनराशि लाख ₹ में

	क्षतिपूरक वनीकरण	कैट प्लान	एन0पी0वी0	अन्य	कुल योग
कार्ययोजना का आकार	4500.00	1800.00	13210.21	800.00	20310.21
अवमुक्त धनराशि	3626.81	1719.84	8135.29	789.71	14271.66
व्यय *	1202.19	949.35	1957.10	301.54	4410.18
अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय %	**33**	**55**	**24**	**38**	**31**

मुख्य सचिव महोदय एवं अध्यक्ष, संचालन समिति द्वारा व्यय की प्रगति पर गहरा असंतोष व्यक्त किया गया एवं उक्त के कारणों की गहन समीक्षा करते हुए इसका कारण जानना चाहा। प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड द्वारा इस संबंध में अवगत कराया गया कि वर्तमान में विभाग में स्टाफ की काफी कमी है एवं विभाग में विभागीय योजनाओं के अतिरिक्त अन्य कई योजनाओं यथा केन्द्र वित्तपोषित, बाह्य सहायतित जायका, नमामि गंगे, कैम्पा आदि विभिन्न योजनाएं कियान्वित हैं जिसके कारण कार्य की अधिकता है। इसके अतिरिक्त वृक्षारोपणों के अंतर्गत अग्रिम मृदा कार्य, जो कि व्यय की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण गतिविधि है व लघु तथा वृहद् निर्माण कार्य के अंतिम त्रैमास

में क्रियान्वित किये जाने के कारण वर्तमान व्यय कम रहने के संबंध में अवगत कराते हुए समिति को यह भी आश्वस्त किया गया कि अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग अंतिम त्रैमास में कर लिया जाएगा।

प्रमुख सचिव, वन द्वारा अवगत कराया गया कि वार्षिक कार्ययोजना का प्रस्ताव मूल रूप से प्रभागों के स्तर पर ही वचनबद्धता एवं 10 वर्षीय कार्ययोजना/प्रबंध योजना के आधार पर प्रस्तावित किया जाता है। अतः यह अपेक्षित है कि प्रभागों द्वारा इसका अनिवार्य रूप से समयांतर्गत क्रियान्वयन पूर्ण किया जाए।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अवगत कराया गया कि उनके स्तर से प्रगति की समीक्षा नियमित रूप से की जा रही है। इसकी प्रमुख सचिव वन तथा प्रमुख वन संरक्षक, उत्त्राखण्ड के स्तर पर भी समय समय पर समीक्षा की गई है। प्रमुख सचिव, वन, उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिनांक 24 अक्तूबर, 2019 को आयोजित कैम्पा की समीक्षा बैठक/वीडियो कोफ्रेन्सिंग में दिये गये निदेशों के क्रम में उत्तराखण्ड कैम्पा के स्तर से समस्त क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षकों को प्रत्येक 15 दिनों में MIS की प्रभागवार प्रगति प्रेषित की जा रही है। साथ ही समय समय पर जोनल अधिकारियों को व्यय की न्यून प्रगति के संबंध में सुधार लाये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि कैम्पा योजना के अंतर्गत इस प्रकार की स्थिति अपेक्षित नहीं है। इसमें राज्य में हस्तांतरित वन भूमि एवं हस्तांतरण से वनों को हुए ह्रास की प्रतिपूर्ति की जानी है जिसके समयांतर्गत पूर्ण न होने से राज्य को इसका पर्याप्त लाभ नहीं हो पाएगा। अतः उक्त की प्रत्येक स्तर पर प्रभागवार कारणों की गहन समीक्षा की जाए कि मुख्यतः किस योजना/मद के अंतर्गत कार्य की प्रगति में कमी आ रही है। कम प्रगति वाले प्रभागों के अधिकारियों को प्रेरित किया जाए कि वे कैम्पा के अंतर्गत वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों को मानक के अनुसार निर्धारित समायवधि के अंतर्गत पूर्ण करें। यदि उनके द्वारा इसके उपरांत भी कार्यशैली में सुधार नहीं लाया जाता है तो उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही अमल में लाई जाए।

<u>कार्यसूची संचालन समिति संख्या–3.3</u>

वित्तीय वर्ष 2020–21 की वार्षिक कार्ययोजना का आकार

सदस्यगण को अवगत कराया गया कि जोनल स्तरों से कुल **₹ 25594.00** लाख की कार्ययोजना प्राप्त हुई थी जिसे कार्यकारी समिति के समक्ष दिनांक 20 दिसम्बर, 2019 को आयोजित तृतीय बैठक में प्रस्तुत किया गया था। प्राप्त कार्ययोजना का घटकवार विवरण निम्नानुसार है :–

वचनबद्ध गतिविधियां			एन0पी0वी0	कुल योग (लाख₹ में)
क्षतिपूरक वनीकरण	कैट प्लान	अन्य 'विशिष्ट' कार्य		
3338	6310	1989	13957	25594

जोनल स्तर से प्राप्त प्रस्तावों के प्रत्येक घटक के विभिन्न मदों पर विस्तृत चर्चा के उपरांत कार्यकारी समिति द्वारा वर्ष 2010–21 हेतु रू0 25000.00 लाख की वार्षिक कार्ययोजना को संचालन समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु संस्तुति प्रदान की गई थी जिसमें CAF Rules 2018 के नियम 6(A) व 6(B) के अनुसार कैम्पा कार्यालय में कार्यरत कार्मिकों के वेतन, भत्ते एवं कैम्पा प्रबन्धन व्यय तथा अनुसूचित दरों में वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु क्षतिपूरक वनीकरण, कैटप्लान एवं वन्यजीव प्रबन्धन हेतु अर्जित ब्याज के अंतर्गत **₹ 1000 लाख** की धनराशि का प्राविधान भी सम्मिलित है। कार्यकारी समिति द्वारा संस्तुत/प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना का घटकवार विवरण निम्नानुसार है :–

वचनबद्ध गतिविधियां			एन0पी0वी0	अर्जित ब्याज	कुल योग (लाख₹ में)
क्षतिपूरक वनीकरण	कैट प्लान	अन्य 'विशिष्ट' कार्य			
5575	3000	2000	13425	1000	25000

संचालन समिति द्वारा कार्यकारी समिति द्वारा प्रस्तावित रू0 25000.00 लाख की उक्त वार्षिक कार्ययोजना को निम्नानुसार संशोधित करने के निर्देश दिये गये।

- वार्षिक कार्ययोजना का आकार realistic होना चाहिए। विगत वर्षों के व्यय को देखते हुए वर्ष 2020–21 की प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना का आकार विभाग की व्यय की क्षमता के अनुरूप निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया।

- ए०एन०आर० हेतु प्रस्तावित भौतिक लक्ष्यों में संशोधन करते हुए वर्ष 2020–21 हेतु 600 हे० का भौतिक लक्ष्य निर्धारित करते हुए इसे भविष्य में उपयुक्त क्षेत्रों का चयन कर और बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया।

- नदियों का पुनर्जीवन मद में कोसी, शिप्रा व खोह नदियों के अतिरिक्त समिति द्वारा **न्यार नदी** को भी सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया।

- प्रदेश में संचालित विभिन्न कैट प्लानों के संबंध में समिति द्वारा निर्देश दिया गया कि जिन कैट प्लानों की डी०पी०आर० स्वीकृत हो चुकी हैं उनमें धनराशि का पर्याप्त प्राविधान करते हुए शेष कैट प्लानों में समान्य रूप से धनराशि का प्राविधान किया जाए। चर्चा के दौरान प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि कैट प्लानों के कियान्वयन की अवधि 07 वर्षों हेतु निधारित होती है किन्तु डी०पी०आर० का अनुमोदन विलम्ब से होने तथा प्रभागों में इनके कियान्वयन की गति को देखते हुए कैट प्लान हेतु 02 से 03 वर्ष का अतिरिक्त समय लगने की संभावना है। इस हेतु कार्यकारी समिति की तृतीय बैठक में भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

  अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखंड द्वारा अवगत कराया गया कि जामरानी बांध जल विद्युत परियोजना भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016 में अनुमोदित की गई है अतः इसके कैट प्लान के कियान्वयन को भी वर्ष 2020–21 के प्रस्ताव में सम्मिलित किया जाना चाहिए। इसको दृष्टिगत रखते हुए समिति द्वारा अपर प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं, उत्तराखण्ड द्वारा प्रस्तुत मांग के सापेक्ष जमरानी व मोरी–नैटवार कैट प्लानों को भी कैट प्लानों हेतु निर्धारित आकार के अंतर्गत सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया।

- वर्ष 2021 में कुंभ के दौरान मानव वन्यजीव संघर्ष न्यूनीकरण को प्राथमिकता के आधार पर लिये जाने के दृष्टिगत हरिद्वार, राजाजी टाईगर रिजर्व, देहरादून व नरेन्द्रनगर वन प्रभागों के अंतर्गत जगली हाथियों के आवागमन की मॉनिटरिंग के

उद्देश्य से रेडियो कॉलरिंग, हाथी रोधी खाई खुदान, दीवार निर्माण, सोलर/इलेक्ट्रिक फेन्सिंग, चौकी निर्माण आदि मदों में समुचित धनराशि का प्राविधान किया गया है।

- भारत सरकार के निर्देशों अनुसार गत वर्ष की भांति वर्ष 2020–21 में भी नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत मुख्य वन संरक्षक, नमामि गंगे द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के सापेक्ष, वर्ष 2019–20 के व्यय की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए, धनराशि प्राविधानित किये जाने का इस शर्त के साथ निर्णय लिया गया कि भारत सरकार से इस मद में धनराशि प्राप्त होने पर नमामि गंगे परियोजना द्वारा यह धनराशि कैम्पा को लौटा दी जाएगी।

- बुग्यालों का संरक्षण मद में भारत सरकार द्वारा राज्य स्तर पर संकलित प्रस्ताव तैयार कर संस्तुति सहित उपलब्ध कराए जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड द्वारा इस संबंध में अवगत कराया गया कि वर्ष 2019–20 में इस मद के अंतर्गत प्राविधानित धनराशि का तकनीकी कारणों से उपयोग नहीं हो पाया। वर्ष 2010–21 के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न बुग्यालों के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु विभाग के साथ साथ अन्य संस्थानों के वैज्ञानिकों/शोधकर्ताओं द्वारा विकसित तकनीकों/परामर्शों को सम्मिलित करते हुए कार्य संपादित किये जाएंगे। इस हेतु समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 के अंतर्गत रू0 400.00 लाख की धनराशि प्राविधानित किये जाने का निर्णय लिया गया।

संचालन समिति द्वारा उपरोक्त गतिविधियों को सम्मिलित करते हुए वर्ष 2020–21 हेतु कुल रू0 22856.00 लाख की धनराशि की कार्ययोजना का अनुमोदन प्रदान किया गया। उक्त में प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियम, 2018 के उपनियम 6(a) व 6(b) के प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड कैम्पा में कार्यरत कार्मिकों के वेतन भत्ते, कैम्पा प्रबंधन व्यय तथा क्षतिपूरक वनीकरण, कैट प्लान के कियान्वयन की बढ़ी मजदूरी दरों की प्रतिपूर्ति हेतु **रू0 1000.00 लाख** की धनराशि भी सम्मिलित है। उक्तानुसार संचालन समिति द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना, 2020–21 का मुख्य घटकवार विवरण निम्नानुसार है : –

Uttarakhand CAMPA APO 2020-21

(as approved by the Steering Committee on January 03, 2020)

वचनबद्ध गतिविधियां			एन0पी0वी0	अर्जित ब्याज	कुल योग (लाख ₹ में)
क्षतिपूरक वनीकरण	कैट प्लान	अन्य 'विशिष्ट' कार्य			
5575	3000	1443	11838	1000	22856

इसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों में प्राविधानित धनराशि का विवरण निम्नानुसार है:–

amount in lakh ₹

S. No.	CAF Act / Rule	Component / Activity	Unit	Approved by Steering Committee	
				Physical Target	Financial Target
1	2	3	4	5	6
COMMITTED SITE SPECIFIC ACTIVITIES					
A	Compensatory Afforestation				
1	As per Section 6(a) of CAF Act 2016	Advance Soil Works	ha	3500	2625
2		Plantation	ha	3000	1102
3		Nursery and Maintenance	ha	10257.46	1848
	Sub-Total	SUB TOTAL			5575
B	Catchment Area Treatment (CAT) Plan				
1	As per Section 6(a) of CAF Act 2016	Tapovan Vishnugad HEP	As per approved Catchment Area Treatment (CAT) Plan		445
2		Lata Tapovan HEP			140
3		Singoli Bhatwari HEP			58
4		Phatta Byung HEP			80
5		Srinagar HEP			320
6		Lakhwar HEP			585
7		Vishungad Pipalkoti HEP			570
8		Vyasi HEP			360
9		Mori Naitwar HEP			150
10		Jamrani HEP			182
11		CAT PMU			110
	Sub-Total	SUB TOTAL			3000
C	Other 'Specified' Works				

S. No.	CAF Act / Rule	Component / Activity	Unit	Approved by Steering Committee	
				Physical Target	Financial Target
1	2	3	4	5	6
1	As per Section 6(a) of CAF Act 2016	Road Side Plantations	Row Km/Nos.	10379.46	551
2		Gap Filling Plantations	ha/Nos.	5049.47	47
3		Dwarf Species Plantations	ha	151.98	90
4		Nursery Raising/ Maintenance	Nos.	161372	155
5		River Training Works [KOSI , DABKA , SONG]	LS	LS	500
6		Muck Disposal	LS	LS	100
	Sub-Total	**SUB TOTAL**			**1443**
	TOTAL COMMITTED ACTIVITIES				**10018**
D	**NET PRESENT VALUE (NPV)**				
Core Activities (Min. 80% of NPV)					
1	Rule 5(2)(a)	Assisted Natural Regeneration (ANR)	ha	600	300
2	Rule 5(2)(b)	Artificial Regeneration / Plantations, Nurseries & Maintenance (Oak, Deodar, others)	ha	700	600
3	Rule 5(2)(b)	**Establishment of City Forest at Dehradun**	ha	LS	100
4	Rule 5(2)(b)	**Namami Gange (Plantation Works)**	ha	1900	2000
5	Rule 5(2)(b)	Establishment of High- Altitude Plants Conservation Area in Kedarnath Wildlife Division	No.	1	50
6	Rule 5(2)(d)	Protection of Bugyals	ha	LS	400
		SUB TOTAL			**3450**
7	Rule 5(2)(f)	**Forest Fire Prevention & Control Operations (Fire Watchers, vehicle hiring during fire season, crew stations etc.)**			**600**
8		**Soil and Water Conservation Works**			
i		Contour Trenches	ha	7000	150

S. No.	CAF Act / Rule	Component / Activity	Unit	Approved by Steering Committee	
				Physical Target	Financial Target
1	2	3	4	5	6
ii	Rule 5(2)(g)	Chal Khal	No.	1800	150
iii		Check Dams	No.	1100	150
iv		Water Bodies (0.10 - 2.50 lakh litres)	No.s	1250	300
v		Rejuvenation of Dhara-Naula and Maintenance of structures	Nos.	770	150
vi		**Rejuvenation of Rivers (Kosi, Shipra, Khoh and Nyar rivers)**	**No.**	4	600
		Sub-Total (Soil cons)			**1500**
		Wildlife Management			
9	Rule 5(2)(k)	**Construction & Maintenance of Rescue Center (Haridwar, Kotdwar and Corbett)**	**Nos.**	**3**	**500**
10		**Fencing, Trenches and Wild boar Proof Wall for Human Wildlife Conflict Mitigation**			
i	Rule 5(2)(d)	Fencing (Solar, Electric, Other)	km	50	300.00
ii		Leopard Proof chain link Fencing (Rajaji TR)	m	1000	50.00
iii		Elephant Proof Trenches	km	12	70.00
iv		Elephant / Wild Boar Proof Stone Concrete Wall	km	17	300.00
v	Rule 5(2)(d)	Maintenance of Stone Concrete Wall	CUM	180	13.00
vi		Elephant Proof Gabion Structure	km	3	300.00
		Sub-Total (Fencing/Wall)			**1033.00**
11	Rule 5(2)(i)	**Habitat Improvement (Lantana Removal, Maintenance and seed sowing/grassland nursery)**	**ha**	**2000**	**300.00**
12	Rule 5(2)(d)	Long Distance Patrolling	LS		50.00
13		EDC/Village Protection Force (Entry Pt. Activities, Microplanning, Human WL Conflict Mitigation Activities	No.	135	200

S. No.	CAF Act / Rule	Component / Activity	Unit	Approved by Steering Committee	
				Physical Target	Financial Target
1	2	3	4	5	6
14		Hiring of Vehicles for Human Wildlife Conflict Mitigation during Kumbh 2021	LS	LS	22.00
		Sub-Total			**272.00**
		Strengthening of Wildlife Management			
15	Rule 5(2)(m)	Estimation of Wildlife Populations	LS	LS	100.00
16	Rule 5(2)(d)	Anti-Poaching Activities	LS	LS	100.00
17	Rule 5(2)(k)	Human Wildlife Conflict Resolution (Monkey capture & Sterilization, cages, etc.) / Quick Response Teams to tackle Human Wildlife Conflict	No.	100	120.00
18	Rule 5(2)(k)	Equipment support for WL cons. (Rescue equipment and Hi-tech equipment for enhancement of enforcement)	LS	LS	50.00
19	Rule 5(2)(d)	Radio Collaring, monitoring & tracking of problem elephants	No.	7	33.00
20	Rule 5(2)(k)	Food for Wild animals at Rescue Center (CS Almora, Nainital, Haridwar)	No.	3	50.00
21	Rule 5(2)(g)	Construction & Maintenance of Water Holes	Nos.	50	100.00
22	Rule 5(2)(k)	Wildlife Veterinary Care, Post Mortem etc.	LS	LS	30.00
23	Rule 5(2)(k)	Establishment of Veterinary Care Centre Dehradun	No.	1	20.00
		Sub-Total			**603.00**
24	Rule 5(2)(m)	Forestry & Wildlife Research	LS	LS	300.00
25	Rule 5(2)(d) and 5(2)(m)	Strengthening of Van Panchayats	Nos.	2000 VPs	600.00
26	Rule 5(2)(f)	Forest Fire Management in Van Panchayat			200.00

S. No.	CAF Act / Rule	Component / Activity	Unit	Approved by Steering Committee	
				Physical Target	Financial Target
1	2	3	4	5	6
27	Rule 5(2)(d)	Strengthening of Voluntary Village Wildlife Protection Force (VVFWF)	No.	1000	75.00
28	Rule 5(2)(l)	Non Conventional and Renewable Energy	No.	50	50.00
		Sub-Total			**1225.00**
	Sub-Total	**80.11% of Total NPV**			**9483.00**
Rest of the Activities (upto 20% of NPV)					
29	Rule 5(3)	Training and Capacity Building	LS	LS	200.00
30	Rule 5(3)	Orientation Workshop on wildlife and health management for Field Veterinary Officers	No.	25 persons	30.00
31	Rule 5(3)	Strengthening of Training Institutes and capacity building, FTA	No.	4	50.00
32	Rule 5(3)(g)	DGPS Survey and Demarcation	LS	LS	100.00
33	Rule 5(3)(e)	Construction of Forest Guard Chowki, Patrolling shelters & Maintenance	Nos.	80	800.00
34	Rule 5(3)(d)	Construction of Watch Towers	Nos.	12	100.00
35	Rule 5(3)(d)	Forest Roads construction & maintenance	km	1800	900.00
36	Rule 5(3)(c)	Communication and Information Technology	LS	LS	50.00
37	Rule 5(3)(h)	Monitoring and Evaluation	LS	LS	50.00
38	Rule 5(3)(i)	Public Awareness and Publicity Extension	LS	LS	75.00
	Sub-Total	**(19.89 % of Total NPV)**			**2355.00**
	TOTAL NPV				**11838.00**
	TOTAL APO				**21856.00**

S. No.	CAF Act / Rule	Component / Activity	Unit	Approved by Steering Committee	
				Physical Target	Financial Target
1	2	3	4	5	6
E	**INTEREST COMPONENT**				
Activities under 60% Interest Component					
1	Rule 6(a)(iv) & (v)	CAMPA Management (Salaries & allowances of regular staff & wages of contractual staff, sitting fees /allowances of nominated members of State Authority).	LS	LS	250.00
2	Rule 6(a)(i)	To offset the incremental cost of CA at the increased wage rates	LS	LS	150.00
3	Rule 6(a)(ii)	To offset the incremental cost of CAT Plan at the increased wage rates	LS	LS	100.00
4	Rule 6(a)(vi)	Monitoring and Evaluation works undertaken by State Authority	LS	LS	100.00
		Sub-Total (60%)			**600.00**
Activities under 40% Interest Component					
5	Rule 6(b)(i)	Management of Office establishment of State Authority (printing & stationary, postage & telephone expenses including internet, office maintenance expenses, hospitality expenses etc.)	LS	LS	100.00
6	Rule 6(b)(ii)	Purchase of Office Equipment including Computers and Peripherals & Maintenance for State Authority	LS	LS	100.00
7	Rule 6(b)(iii)	Hiring of Vehicles/Staff Cars, fuel and maintenance for State Authority	LS	LS	50.00
8	Rule 6(b)(vi)	Purchase of Vehicles for forest & wildlife protection/management (Motorbikes)	No.	100	100.00

S. No.	CAF Act / Rule	Component / Activity	Unit	Approved by Steering Committee	
				Physical Target	Financial Target
1	2	3	4	5	6
9	Rule 6(b)(v)	Other exigencies for management of Uttarakhand CAMPA State Authority.	LS	LS	50.00
		Sub-Total (40%)			400.00
		Total (Interest Component)			**1000.00**
		GRAND TOTAL (APO 2020-21)			**22856.00**

इस प्रकार संचालन समिति द्वारा विभिन्न संशाधनों उपरांत वर्ष 2020–21 हेतु कुल **रू0 22856.00 लाख** की धनराशि की वार्षिक कार्ययोजना का अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 की धारा 15(1)(i) में निहित प्राविधानों अनुसार इसे तद्नुसार राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

कार्यसूची संचालन समिति संख्या–3.4

उत्तराखण्ड कैम्पा के वर्ष 2010–11, 2011–12 एवं 2012–13 की लेखा परीक्षा का वार्षिक प्रतिवेदनः

सदस्यगणों को अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड कैम्पा के वर्ष 2010–11, 2011–12 एवं 2012–13 के महालेखाकार कार्यालय, उत्तराखण्ड से प्राप्त लेखापरीक्षा के वार्षिक प्रतिवेदनों को मा0 उत्तराखण्ड विधानसभा के सत्र में प्रस्तुत किया जा चुका है। उक्त के अतिरिक्त वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 के लेखा प्रमाणीकरण का कार्य भी महालेखाकार, उत्तराखण्ड द्वारा पूर्ण किया जा चुका है। समिति उक्त से अवगत हुई।

कार्यसूची संचालन समिति संख्या–3.5

वर्ष 2018–19 वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन।

संचालन समिति द्वारा उत्तराखण्ड कैम्पा की वर्ष 2018–19 की वार्षिक रिपोर्ट को अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यसूची संचालन समिति संख्या–3.6

अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

(क) नवगठित उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा) का ढाँचा–

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अवगत कराया गया कि नवगठित उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा) का ढाँचा कार्यकारी समिति एवं संचालन समिति की स्वीकृति उपरान्त उत्तराखण्ड शासन को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है। इस सम्बन्ध में सचिव, वित्त की मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा के साथ दो बार बैठक भी की जा चुकी है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा उत्तराखण्ड कैम्पा के सुचारू संचालन हेतु उपयुक्त स्टाफ की तत्काल नियुक्ति किये जाने हेतु ढांचे का अनुमोदन शीघ्र प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध किया गया। मुख्य सचिव महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सचिव वित्त को उक्त के संबंध में निर्देश दिये गये कि कैम्पा के नये अधिनियम के प्राविधानों के तहत् कैम्पा के दायित्वों में निश्चित तौर पर बढ़ोतरी हुई है जिससे अतिरिक्त स्टाफ की आवश्यकता है। उत्तराखण्ड कैम्पा के ढांचे को पूर्व में संचालन समिति की दिनांक 05 फरवरी, 2019 को आयोजित प्रथम बैठक में अनुमोदन प्रदान किया गया है। अतः मुख्य सचिव महोदय द्वारा इसे प्राथमिकता पर लेते हुए उत्तराखण्ड कैम्पा के ढांचे को तत्काल स्वीकृत किये जाने हेतु निर्देश दिये गये।

(ख) मुख्य सचिव, महोदय द्वारा पुनः निर्देशित किया गया कि व्यय में व्यापक रूप से प्रगति लाई जाए। ससमय MIS प्रविष्टि हेतु क्रियान्वयन इकाईयों को कड़े निर्देश दिये जाएं। समय समय पर प्रत्येक स्तर पर प्रगति की समीक्षा की जाए व धनराशि के व्यय में पिछड़ने वाले वन प्रभागों को चेतावनी जारी की जाए। यदि प्रगति में सुधार न हो तो प्रशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ

की जाए। कैम्पा के कार्यों की भारत सरकार के अतिरिक्त मा0 उच्चतम न्यायालय के स्तर पर भी मॉनिटरिंग की जा रही है अतः इसके अंतर्गत गतिविधियों के कियान्वयन व इनकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए।

फील्ड अधिकारी नियमित रूप से कैम्पा कार्यों की मॉनिटरिंग एवं समय समय पर वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष संपादित कार्यों की समीक्षा भी सुनिश्चित करेंगे।

(ग) मुख्य सचिव महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि वन प्रभागों को लक्ष्य आवंटित करते समय उन्हें अन्य योजनाओं से प्राप्त होने वाली धनराशि का भी संज्ञान लिया जाए। जिन वन प्रभागों में एक योजना में पर्याप्त लक्ष्य/धनराशि का प्राविधान हो उन वन प्रभागों को अन्य योजनाओं के अंतर्गत उन्हीं कार्यों हेतु धनराशि का सीमित प्राविधान किया जाए जिससे यथासंभव overlapping की स्थिति न उत्पन्न हो।

अंत में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा समस्त उपस्थित सदस्यों का धन्यवाद करते हुए बैठक का समापन किया गया।

अनुमोदित

16/1/20

(समीर सिन्हा)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा एवं सदस्य सचिव, संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा

(उत्पल कुमार सिंह)
मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन एवं
अध्यक्ष–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा

उत्तराखंड प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखंड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन मुख्यालय, 85–राजपुर रोड, देहरादून टेलीफैक्स : 0135–2744077 ई–मेल: ceocampa-forest-uk@nic.in /ceoukcampa@gmail.com

web site- www.ukcampa.org.in

पत्रांक– 1080 / सं०स०(3) दिनांक, देहरादून, 24, जनवरी, 2020

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
2. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
3. प्रमुख सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
4. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
5. प्रमुख सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
6. प्रमुख सचिव, कृषि, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
7. प्रमुख सचिव, जनजाति विकास, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
8. प्रमुख सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
9. प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
10. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
11. मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
12. अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी–वन संरक्षण, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
13. अपर प्रमुख वन संरक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, 25–सुभाष रोड, देहरादून एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
14. नोडल अधिकारी, राज्य वन विकास अभिकरण (प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत) एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
15. श्री एस०टी०एस० लेप्चा, सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।

(डॉ॰ समीर सिन्हा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखंड कैम्पा।

पत्रांक– 1080 / सं०स०(3) उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपिः निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को **मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा** के संज्ञानार्थ सादर प्रेषित।

(डॉ॰ समीर सिन्हा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखंड कैम्पा।